



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक .- ई-18/एम/जोन-कोटा/2019/ दिनांक

विभागीय जांच प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/(4124-1)/2015/2136 दिनांक 04.11.2015 के द्वारा श्री जोयल एल्फ्रेड, लिपिक ग्रेड-द्वितीय(से नि), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां के विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित होने के आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-1406/2018/1304 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा प्रकरण समाप्त (झाप) किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोयल एल्फ्रेड, कनिष्ठ सहायक(से.नि.) के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 26/04/19

क्रमांक .- ई-18/एम/जोन-कोटा/2019/1002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेशाब एवं पेशाबर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित (सीबी) अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री जोयल एल्फ्रेड, कनिष्ठ सहायक(से.नि.) को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर